



अधिशाली अधिशाली अभियन्ता,  
अस्थायी खण्ड,लोक निर्माण विभाग,चकराता।



उत्तराखण्ड शासन

Website-<http://pwd.uk.gov.in>

E-Mail-[eeppwdchakrata10@rediffmail.com](mailto:eeppwdchakrata10@rediffmail.com)

पत्रांक 1861/15 c 12  
सेवा में,

दिनांक 16/11/2022

✓ प्रमाणीय वनाधिकारी  
चकराता वन प्रभाग,कालसी।

विषय:- जनपद देहरादून के विधानसभा क्षेत्र चकराता लोखण्डी बुधेर वन मार्ग से ग्राम पंचायत बुल्लाड़ के ग्राम उदावा तक सम्पर्क मार्ग के निर्माण हेतु 3.900 है0 वन भूमि का गैर वानिकी कार्य हेतु लोक निर्माण विभाग को प्रत्यावर्तन। (online NO.FP/UK/ROAD/48173/2020)

सन्दर्भ:- आपका पत्रांक सं0 8वी0/यू.सी.पी./06/58/2022/एफ0सी0/783 दिनांक 02.09.2022

महोदय,

उपरोक्त विषयक सन्दर्भित पत्र द्वारा वनभूमि प्रस्ताव में लगाई गई आपत्तियों का निराकरण बिन्दुवार निम्न है:-

क्र0 स0	वनभूमि प्रस्ताव में लगी आपत्तिया	आपत्तियों का निराकरण
1.	The purpose of the proposed road is only to provide connectivity to an isolated village where high volume of traffic is not expected Further the road passes through a dense forest the DFO shall mark the forest roads available in the vicinity of the village to be connected and infrom the possibility of using a forest road for providing connectivity to the village	आपके स्तर से निराकरण किया जाना है।
2.	The State Government shall reassess the proposed Width and restrict it to bare minimum requirement Which shall not be more than the width of 3 to 4 m.	पूर्व में लोक निर्माण विभाग में हल्का वाहन मार्ग (चौ0 4.25 मी0) के मानक से सड़क का निर्माण किया जाना सम्भव था परन्तु उत्तराखण्ड शासन के निर्देशानुसार वर्तमान में पहाड़ी क्षेत्रों के मोटर मार्ग के नव निर्माण हेतु मानक न्यूनतम चौड़ाई 5.95 मी0 से कम की प्रस्तावित नहीं की जा सकती है। अतः उपरोक्त प्रस्ताव में मार्ग की चौड़ाई 3 से 4 मी0 किया जाना सम्भव नहीं है।
3.	No of trees affected by the proposal are mentioned as 33 in the tree enumeration list uploaded online. However, number of trees affected are mentioned as 31 trees ar para 4 in part II. Satate government is requested to clarify this discrepancy and submit/ upload the correct information in this regard.	इस प्रयोजना में वन भूमि में प्रभावित होने वाले वृक्षों की कुल संख्या 33 है जिसमें आरक्षित वन भूमि में 24 वृक्ष, सिविल सोयम भूमि में 9 वृक्ष एवं वन पंचायत भूमि में शून्य वृक्ष आ रहे हैं। अतः वनभूमि में कुल 33 वृक्ष ही प्रभावित हो रहे हैं।
4.	N.P.V is calculated as per old rates. State Government is requested to upload the N.P.V calculation sheet as per the current rates.	आपके स्तर से निराकरण किया जाना है।
5.	The names of the documents upload in the in additional documents are not mentioned. Accordingly, names be mentioned.	The names of the documents upload in the in additional documents are mentioned. Accordingly, names be mentioned on dated 02.11.2022.
6.	Work not start certificate is not found authenticated by DFO state Government shall upload the Work not start certificate duly authenticated by the concerned DFO.	आपके स्तर से निराकरण किया जाना है।

पत्रांक..... /

प्रतिलिपि:- सहायक अभियन्ता अस्थायी खण्ड लो0नि0वि0, चकराता को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

अधिशाली अभियन्ता  
अस्थायी खण्ड, लो0नि0वि0, चकराता।  
दिनांक 16/11/2022

अधिशाली अभियन्ता  
अस्थायी खण्ड, लो0नि0वि0, चकराता।

भारत सरकार

पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय

एकीकृत क्षेत्रीय कार्यालय, देहरादून

25 सुभाष रोड, देहरादून-248001

दूरभाष: 0135-2650809

फैक्स-0135-2653010

ईमेल- [moef.ddn@gov.in](mailto:moef.ddn@gov.in)



सत्यमेव जयते

GOVERNMENT OF INDIA

MINISTRY OF ENVIRONMENT, FOREST &

CLIMATE CHANGE

INTEGRATED REGIONAL OFFICE, DEHRADUN

25 SUBASH ROAD, DEHRADUN-248001

PHONE- 0135-2650809

FAX- 0135-2653010

Email- [moef.ddn@gov.in](mailto:moef.ddn@gov.in)

फाईल संख्या/ 8वी./यू.सी.पी./06/58/2022/एफ0 सी0/713

दिनांक: 02/09/2022

सेवा में,

✓ अपर प्रमुख वन संरक्षक एवं नोडल अधिकारी

वन संरक्षण, इन्दिरानगर फॉरेस्ट कालोनी,

उत्तराखण्ड, देहरादून।

विषय:- जनपद- देहरादून के विधानसभा क्षेत्र चकराता लोखण्डी खुशे वन मार्ग से ग्राम पंचायत बुल्डाड़ के ग्राम उदाया तक सम्पर्क मार्ग के निर्माण हेतु 3.900 है0 वन भूमि का गैर वानिकी कार्यों हेतु लोक निर्माण विभाग को प्रत्यावर्तन। (Online No. FFP/UK/ROAD/48173/2020)

सन्दर्भ:-कार्यालय-अपर प्रमुख वन संरक्षक एवं नोडल अधिकारी, वन संरक्षण, उत्तराखण्ड का पत्रांक - 344/FP/UK/ROAD/48173/2020 दिनांक 01-08-2022

महोदय,

उपयुक्त प्रस्ताव पर ध्यानपूर्वक विचार करने के उपरान्त मुझे आपको यह सूचित करने का निर्देश हुआ है कि प्रस्ताव में निम्नलिखित त्रुटियाँ पाई गयी। राज्य सरकार निम्नलिखित बिन्दुओं पर आवश्यक सूचनाये प्रेषित करने का कष्ट करें, ताकि अग्रिम कार्यावली सुनिश्चित की जा सके:-


1. The purpose of the proposed road is only to provide connectivity to an isolated village where high volume of traffic is not expected, Further the road passes through a dense forest. The DFO shall mark the forest roads available in the vicinity of the village to be connected and inform the possibility of using a forest road for providing connectivity to the village. OFO
2. The State Government shall reassess the proposed width and restrict it to bare minimum requirement which shall not be more than the width of 3 to 4 m. OFO
3. No of trees affected by the proposal are mentioned as 33 in the tree enumeration list uploaded online. However, number of trees affected are mentioned as 31 trees at para 4 in part II. State government is requested to clarify this discrepancy and submit/ upload the correct information in this regard. OFO
4. NPV is calculated as per old rates. State Government is requested to upload the NPV calculation sheet as per the current rates. OFO

5. The names of the documents uploaded in the in additional documents are not mentioned. Accordingly, names be mentioned. (U.A.)

6. 'Work not start' certificate is not found authenticated by DFO. State Government shall upload the 'Work not start' certificate duly authenticated by the concerned DFO. D.M.

उपरोक्त त्रुटियों की पूर्तता के उपरांत ही प्रस्ताव पर अग्रिम कार्यवाही की जा सकेगी एवं यदि चाही गई सूचना पत्र जारी होने की तिथि के 60 दिनों के भीतर (अधिकतम 90 दिन) इस कार्यालय में प्राप्त नहीं हुई तो प्रस्ताव को निरस्त किया जा सकता है।

भवदीय,

  
(गजेन्द्र प्रकाश नरवणे) 02.09.2022  
सहायक महानिरीक्षक (वन)

प्रतिलिपि सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु :-

1. अपर मुख्य सचिव (वन), उत्तराखण्ड शासन, सुभाष रोड़, देहरादून।

(गजेन्द्र प्रकाश नरवणे)  
सहायक महानिरीक्षक (वन)